



2026:AHC:57010

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

धारा 528 बीएनएसएस के अंतर्गत आवेदन - संख्या 9997 वर्ष 2026

आरती राय @ जेना राय

.....आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....प्रतिपक्ष (गण)

आवेदक(कों) के अधिवक्ता

: जनार्दन यादव, मणिकांत यादव

विरोधी पक्ष के अधिवक्ता

: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 81

माननीय न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री मणिकांत यादव और राज्य की ओर से विद्वान ए.जी.ए. को सुना गया।
2. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 528 के तहत वर्तमान आवेदन विशेष सत्र विचारण संख्या 05 वर्ष 2022 (राज्य बनाम गुरु प्रसाद राय उर्फ बेचू), जो केस अपराध संख्या 69 वर्ष 2021, उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम की धारा 3(1) के तहत, थाना गंभीरपुर, जनपद आजमगढ़ से उत्पन्न हुआ है, की संपूर्ण कार्यवाही के साथ-साथ आरोप पत्र दिनांक 11.12.2021 और संज्ञान/समन आदेश दिनांक 24.01.2022, जो विशेष न्यायाधीश (गैंगस्टर एक्ट), आजमगढ़ के न्यायालय में लंबित है, को निरस्त करने हेतु प्रस्तुत किया गया है।
3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि आवेदक के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्यवाही निम्नलिखित मामले के आधार पर शुरू की गई थी:—

"(i) केस अपराध संख्या 10 वर्ष 2021, धारा 147, 148, 149, 506, 352, 302, 120B आई.पी.सी. और आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम (CLA Act) की धारा 7, थाना गंभीरपुर, जनपद आजमगढ़।"
4. यह आगे प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक को केस अपराध संख्या 10 वर्ष 2021, धारा 147, 148, 149, 506, 352, 302, 120B आई.पी.सी. और आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम की धारा 7, थाना गंभीरपुर, जनपद आजमगढ़ में निर्णय एवं आदेश दिनांक 18.06.2025 के माध्यम से दोषमुक्त कर दिया गया है, जिसकी प्रति इस आवेदन के साथ अनुलग्नक-3 के रूप में संलग्न की गई है।
5. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता आगे यह तर्क देते हैं कि अब अभियोजन पक्ष के पास

आवेदक के विरुद्ध उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण)

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



अधिनियम, 1986 की धारा 3(1) के तहत कार्यवाही शुरू करने का कोई वाद-कारण शेष नहीं है, क्योंकि उसे आधारभूत मामले में दोषमुक्त कर दिया गया है। यह आगे प्रस्तुत किया गया है कि एक बार जब आधारभूत मामले में आवेदक को दोषमुक्त कर दिया गया है, तो गैंगस्टर एक्ट के तहत वर्तमान कार्यवाही को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता।

6. अपने तर्कों के समर्थन में, आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने **फरहाना बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य [2024 0 INSC 118]** के मामले में पारित निर्णय पर भरोसा जताया है, और कहा है कि एक बार जब आवेदक को आधारभूत मामले में दोषमुक्त कर दिया जाता है या कार्यवाही निरस्त कर दी जाती है, तो गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्यवाही जारी नहीं रह सकती है; इसलिए, संपूर्ण कार्यवाही विधि विरुद्ध है और इस न्यायालय द्वारा निरस्त किए जाने योग्य है।
7. इसके विपरीत, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने आवेदक द्वारा की गई प्रार्थना का विरोध किया और तर्क दिया कि आधारभूत मामले के निरस्त होने, दोषमुक्ति या खारिज होने के आधार पर गैंगस्टर एक्ट की कार्यवाही को निरस्त नहीं किया जा सकता है। गैंगस्टर एक्ट के तहत आरोपित आरोप पत्र को निरस्त नहीं किया जा सकता।
8. अपने तर्क के समर्थन में, विद्वान ए.जी.ए. ने इस न्यायालय की एक समन्वय पीठ द्वारा **पारस चौधरी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य [आवेदन धारा 482 संख्या 11117 वर्ष 2024, निर्णय तिथि 03.05.2024]** में पारित निर्णय पर भरोसा जताया।
9. पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत परस्पर विरोधी तर्कों को सुनने के बाद, यह पूरी तरह स्पष्ट है कि आवेदक के विरुद्ध आधारभूत मामले की कार्यवाही अब लंबित

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



नहीं है; और एक बार जब गैंग चार्ट में दर्शाए गए आधारभूत मामले की कार्यवाही निरस्त हो जाती है या आवेदक दोषमुक्त हो जाता है, तो उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 के तहत कार्यवाही निरस्त किए जाने योग्य है।

10. **फरहाना (उपरोक्त)** के हालिया निर्णय में, जिसका फैसला 19.02.2024 को हुआ था, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस आधार पर उत्तर प्रदेश गैंगस्टर एक्ट की कार्यवाही को निरस्त कर दिया कि आवेदक के विरुद्ध दिखाए गए आधारभूत मामले को उच्च न्यायालय द्वारा पहले ही निरस्त कर दिया गया था। फरहाना (उपरोक्त) के प्रासंगिक पैराग्राफ नीचे पुनरुत्पित किए गए हैं।

“12. गैंगस्टर एक्ट की धारा 2(b)(i) के अवलोकन मात्र से यह स्पष्ट हो जाता है कि जिस व्यक्ति के गिरोह का सदस्य होने का आरोप है, उसे उन असामाजिक गतिविधियों में लिप्त पाया जाना चाहिए जो भारतीय दंड संहिता (IPC) के अध्याय XVI (16), या XVII (17) या XXII (22) के तहत दंडनीय अपराधों के अंतर्गत आती हों। इसमें कोई विवाद नहीं है कि अपीलकर्ताओं के विरुद्ध अभियोजन पक्ष द्वारा गैंगस्टर एक्ट के तहत जो मामला बनाया गया है, वह ऊपर उद्धृत धारा 2(b)(i) तक ही सीमित है और प्रस्तावित अभियोजन के लिए इस प्रावधान के किसी अन्य खंड का उपयोग नहीं किया गया है।

13. यह कहना अनावश्यक होगा कि गैंगस्टर एक्ट के तहत अपराध के लिए आरोप तय करने और उपरोक्त प्रावधानों के तहत अभियुक्त के अभियोजन को जारी रखने के लिए, अभियोजन पक्ष को स्पष्ट रूप से यह बताना आवश्यक

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



होगा कि अपीलकर्ताओं पर धारा 2(b) के तहत परिभाषित किसी एक या अधिक असामाजिक गतिविधियों में शामिल अपराधों के लिए मुकदमा चलाया जा रहा है।

14. इसमें कोई विवाद नहीं है कि अपीलकर्ताओं के विरुद्ध आई.पी.सी. के अध्याय XVII के तहत दर्ज एकमात्र एफ.आई.आर. (केस अपराध संख्या 173 वर्ष 2019) की कार्यवाही में, अपीलकर्ताओं को दोषमुक्त माना जाएगा, क्योंकि इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 482 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए आवेदन संख्या 7228 वर्ष 2023 में पारित आदेश दिनांक 3 मार्च, 2023 के माध्यम से उक्त एफ.आई.आर.को निरस्त कर दिया गया है।

15. अतः, गैंगस्टर एक्ट के प्रावधानों के तहत अपीलकर्ताओं के अभियोजन को जारी रखने की बुनियाद ही समाप्त हो जाती है और इसके परिणामस्वरूप, उक्त अपराध के लिए अपीलकर्ताओं का निरंतर अभियोजन अनुचित है और न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग के समान है।

16. उपरोक्त चर्चा के परिणामस्वरूप, इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित आदेश दिनांक 14 नवंबर, 2022 और 6 दिसंबर, 2022 को निरस्त किया जाता है और दरकिनार किया जाता है।

11. पूर्ववर्ती चर्चा के आलोक में, चूंकि आवेदक के विरुद्ध आधारभूत मामले की कार्यवाही अब लंबित नहीं है, अतः विशेष सत्र विचारण संख्या 05 वर्ष 2022 (राज्य बनाम गुरु प्रसाद राय उर्फ बेचू), जो केस अपराध संख्या 69 वर्ष 2021, उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम की धारा 3(1), थाना गंभीरपुर, जनपद आजमगढ़ से उत्पन्न हुआ है, के साथ-साथ आरोप पत्र दिनांक 11.12.2021 और संज्ञान/समन आदेश दिनांक 24.01.2022, जो विशेष न्यायाधीश (गैंगस्टर एक्ट), आजमगढ़ के न्यायालय में लंबित है, को एतद्वारा केवल वर्तमान आवेदक के संदर्भ में निरस्त किया जाता है।

12. तदनुसार, वर्तमान आवेदन स्वीकार किया जाता है।

(न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह)

दिनांक: 19 मार्च, 2026

ए.पी. पांडे

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।